

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

—:: आदेश ::—

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06.10.2023

क्रमांक एफ 01-03/31/स्था./2023 :: राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.06.2023 के तारतम्य में परिभ्रमण के माध्यम से, निम्नलिखित सहायक अभियंताओं (सिविल) को उनके कनिष्ठ पदोन्नत कार्यपालन अभियंता (सिविल) के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत पर वरिष्ठता निर्धारित करते हुए, कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर, स्थानापन्न रूप से, वेतन बैंड रूपये 67,300-2,13,100 (सातवें वेतनमान मेट्रिक लेवल-13) में पदोन्नत कर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान में पदस्थ करता है:-


क्रं.	वरि. क्रं.	सहायक अभियंता (सिविल) का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नत पद एवं जहाँ पदस्थ किया जाता है, स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	17/390	श्री के.एस. मरकाम, सहायक अभियंता (रू.) कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर	कार्यपालन अभियंता (रू.) कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
2	20/406	श्री एम.के. कश्यप, सहायक अभियंता (रू.) कार्यालय कार्यपालन अभियंता, बोधघाट परियोजना संभाग दंतेवाड़ा अस्थाई मु. रायपुर	कार्यपालन अभियंता (रू.) कार्यालय अधीक्षण अभियंता, महानदी मंडल, रायपुर
3	43/454	श्री बी.एस. नेताम, सहायक अभियंता (रू.) कार्यालय अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर	कार्यपालन अभियंता (रू.) कार्यालय अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर

(1) यह पदोन्नति "कार्य नहीं वेतन नहीं No Work No Pay" के सिद्धांत पर होगी। पदोन्नत कार्यपालन अभियंता (सिविल) की वरिष्ठता/वेतन वृद्धि एवं अन्य प्रयोजन हेतु मान्य की जाएगी, किन्तु जितनी अवधि में उस पद का वास्तविक रूप से कार्य नहीं किया गया है, उस अवधि का बकाया प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

(2) पदोन्नत कार्यपालन अभियंता (सिविल) पदस्थ किये गये स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करेंगे, वेतनादि का आहरण कार्यग्रहण स्थान से ही आहरित होगा। संबंधित नियंत्रण अधिकारी उक्त अधिकारियों को वांछित स्थान में कार्यग्रहण हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता शासनादेश पालन प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त पदोन्नति मान. छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WP(PIL) No. 91/2019. S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & other, WP(S) 9778/2019, Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & other एवं WP(S) 3496/2020, 4861/2021 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनुसग पाण्डेय)
विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 01-03/31/स्था./2023
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06.10.2023.

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ जीरो प्वाइंट, रायपुर,
 2. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 4. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर अटल नगर,
 6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 7. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर/बिलासपुर,
 8. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर,
 9. संबंधित कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग,
 10. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय,
 11. संबंधित अभियंता सर्वश्री द्वारा:-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 12. आदेश फोल्डर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग